न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 19 / 2016
अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. राकेश कुमार पुत्र रामनारायण, जाति अग्रवाल, निवासी चक 7 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. विजय कुमार पुत्र महावीर प्रसाद, जाति अग्रवाल, निवासी चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.......वादीगण

बनाम

1. रावताराम पुत्र मनाराम, जाति कुम्हार, निवासी चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. अंकुर मिगलानी पुत्र रमेश मिगलानी, जाति अरोडा, निवासी एच ब्लाक, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. कंचन मिगलानी पत्नी रमेश मिगलानी, जाति अरोडा, निवासी एच ब्लाक, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. प्रियंका मिगलानी पुत्री रमेश मिगलानी, जाति अरोडा, निवासी एच ब्लाक, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. प्रीति मिगलानी पुत्री रमेश मिगलानी, जाति अरोडा, निवासी एच ब्लाक, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

.....प्रतिवादीगण

–:: उपस्थिति अभिभाषक ::–

उपस्थित–	श्री प्रदीप सिहाग	(वादी–1 व 2)
	श्री अनित जोशी	(प्रतिवादी 2 ता 5)
	पैरोकार राज	(प्रति.–6)

प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 04.01.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

– निर्णय –

दिनांक 14.01.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यानुसार चक 7 ई छोटी के सयुक्त खाता
संख्या 142/132 मे प्रत्येक के नाम 0.0465 हैक्टर नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।
प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त खाता संख्या मे 0.065 हैक्टर नहरी कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या
2, 3, 4, 5 प्रत्येक के नाम 0.187 हैक्टर नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वर्तमान
जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संल्गन वाद पत्र है। वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के मध्य
काफी समय पूर्व मौखिक सहमति बंटवारा तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 प्रत्येक द्वारा 0.002
हैक्टर कृषि भूमि का मौखिक परित्याग वादीगण के हक मे कर, कब्जा उसी अनुरूप सौप
दिया गया था अर्थात प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 द्वारा अपने हक व हस्से की कृषि भूमि मे से
यानि 0.187 हैक्टर में से प्रत्येक द्वारा 0.002 हैक्टर कृषि भूमि का परित्याग वादीगण के हक मे
बहिस्सा बराबर कर दिया गया था। वादीगण के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे 0.0465 हैक्टर
प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है परन्तु वर्तमान समय मे कब्जा प्रत्येक का 0.0505 हैक्टर
यानि कुल 0.101 हैक्टर पर चला आ रहा है। वादीगण का कब्जा मु.न. 14 के किला न.
10/2 पर है तथा वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के मध्य उक्त कब्जा काश्त को लेकर
कोई विवाद नही है परन्तु वादीगण के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे कब्जे से कम यानि 0.

Scanned with CamScanner

0465 हैक्टर कृषि भूमि प्रत्येक के नाम दर्ज होने के कारण तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम भूमि मौखिक परित्याग वादीगण के हक मे 0.002 हैक्टर करने के पश्चात् भी वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रत्येक के नाम 0.187 हैक्टर दर्ज होने के कारण दोनो पक्षकारगण को काफी परेशानी, मनमुटाव का सामना करना पड़ रहा है तथा खाता संयुक्त होने के कारण भी अन्य कई परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कई दफा संयुक्त खाते का विभाजन, कब्जा अनुरूप करने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण ऐसा करने से स्पष्ट इंकार कर गये जबकि वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के मध्य आपसी मौखिक विभाजन एवम् 0.002 हैक्टर कृषि भूमि का मौखिक परित्याग प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 द्वारा वादीगण के हक मे बहिस्सा बराबर किया जा चुका था जिस कारण 0.008 हैक्टर कृषि भूमि का अंकन बहिस्सा बराबर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना था जिसका अंकन करवाने से भी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 टालमटोल कर रहे है। यही वाद कारण वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्राप्त है। वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य खाता संयुक्त होने के कारण लगान, आबयाना देने मे कई प्रकार की कानूनी पेचीदगिंया उत्पन्न होने लग गई है व रकम मामला व पानी का भराई खिंचाई मे भी व्यवहारिक दिक्कते आने लगी है। इसके अलावा खाता संयुक्त होने के कारण बैंक ऋण व सरकारी अनुदान आदि प्राप्त करने मे भी कानूनी पेचीदगिया उत्पन्न होने लग गयी है जिस कारण वादीगण द्वारा अपने हक व हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार संयुक्त खाता का विभाजन व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 द्वारा वादीगण के पक्ष में की गई कुल 0.008 हैक्टर कृषि भूमि का मौखिक परित्याग जिस कारण उक्त प्राप्त कृषि भूमि का अंकन अपने नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना अति आवश्यक हो गया है जिस हेतू उक्त वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादिया निम्न प्रकार आदेशित एवं आज्ञाप्ति किया जावे:–

(क) यह कि इस अमर की घोषणा की डिक्री जारी की जावे कि चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 142/132 मे दर्ज कुल 0.908 हैक्टर कृषि भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 प्रत्येक द्वारा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज 0.187 हैक्टर कृषि भूमि में से प्रत्येक द्वारा 0.002 हैक्टर कृषि भूमि का परित्याग वादीगण के पक्ष में बहिस्सा बराबर किया गया, उक्त कृषि भूमि का अंकन वादीगण के हक मे किया जाकर वादीगण प्रत्येक को 0.0505 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर, प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 प्रत्येक के हिस्से मे से उसी अनुरूप 0.002 हैक्टर कृषि भूमि कम कर अंकित करने हेतू आदेशित किया जावे।

(ख) यह कि इस अमर की डिक्री जारी की जावे कि चक 7 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 142/132 मे दर्ज कुल 0.908 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण प्रत्येक को 0.0505 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त खाता का विभाजन वादीगण के कब्जा अनुसार किया जावे या अच्छी मे से अच्छी, बुरी मे से बुरी अनुसार किया जावे।

(ग) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में उचित समझे, प्रदान किया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की तामील सम्मन से नहीं होने के कारण वकील वादीगण के निवेदन पर प्रतिवादी संख्या 1 की तामील अखबार में साया करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 द्वारा दिनांक 04.01.2021 को इकबाल दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उत्तरदातागण का वादीगण के साथ अब कोई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
...गंगानगर

Scanned with CamScanner

विवाद नहीं है। वादीगण का वाद पत्र अगर स्वीकार किया जाता है, तो उत्तरदातागण को कोई एतराज नहीं है। अतः इकबाल दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र कथनानुसार अगर स्वीकार किया जाता है, तो उत्तरदातागण को कोई ऐतराज नहीं होगा।

बहस वकील सुनी जाकर वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदा(राजस्व), श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक भू.अ./2021/73 दिनांक 12.01.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। वकील वादी द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त विभाजन अनुसार वाद डिकी किये जाने बाबत निवदेन किया गया एवम् लिखित अनापत्ति जाहिर की गई।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	रकबा का विवरण
1	राकेश कुमार पुत्र रामनारायण विजय कुमार पुत्र महावीर प्रसाद ब.हि.ब. जाति अग्रवाल निवासी देह खातेदार वादी संख्या 1 व 2	चक 7 ई छोटी मु.नं. 14 कि.नं. 10/2(0.101 हैक. नहरी)
2	अंकुर मगलानी पुत्र रमेश मगलानी , कंचन मगलानी पत्नी रमेश मगलानी, प्रियंका पुत्र रमेश मगलानी, प्रीति मगलानी पुत्री रमेश मगलानी ब.हि.ब. जाति अरोडा साकिन एच ब्लॉक खातेदार	चक 7 ई छोटी मु.नं. 14 कि.नं. 16/1(0.177 हैक.), 17/1(0.092 हैक.), 24/1(0.219 हैक.), 25(0.253 हैक.) कुल 0.741 हैक्टर नहरी
3	रावताराम पुत्र मानाराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार 0.065 हैक. अंकुर मगलानी पुत्र रमेश मगलानी 0.001 हैक. जाति अरोड़ा निवासी एच ब्लॉक	चक 7 ई दोटी मु.नं. 14 कि.नं. 14/1(0.066 हैक. नहरी)

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिंनाक 14.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner